राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति

(National Means-Cum-Merit Scholarship)

डॉ0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति

(Dr. Shivanand Nautiyal Scholarship)

राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) छात्रवृत्ति

(State Merit 'Sridev Suman' Scholarship)

राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति

(National Means-Cum-Merit Scholarship)

संचालन –

- शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा।

कुल छात्रवृत्तियॉ –

- राष्ट्रीय स्तर पर : 100000 छात्रवृत्तियाँ.
- उत्तराखण्ड राज्य के लिए : 1048 छात्रवृत्तियाँ.

प्रत्येक जनपद की कक्षा 7 व 8 की छात्र संख्या एवं सम्बन्धित वय वर्ग की जनसंख्या के आधार पर छात्रवृत्तियों की संख्या निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के आधार पर आरक्षित वर्ग के लिए जनपदवार स्थान आरक्षित। राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं जनपदवार वरीयता सूची के आधार पर योग्य छात्र–छात्राओं का चयन।

किस स्तर तक – योजना के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को –

- कक्षा 9 से कक्षा 12 तक (छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर)
- छात्रवृत्ति की वर्तमान दर – प्रति माह रु0 1000.00 (एक हजार रूपए)

- छात्रवृत्ति का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक की सी0बी0एस0 शाखा में खुले बैंक खाते में ।

चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता –

- **अभ्यर्थी राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) की कक्षा 8 में संस्थागत छात्र–छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो।**
- अभ्यर्थी ने कक्षा– 7 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 55 % (आरक्षित वर्ग के लिए 50 %) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
- आय सीमा– अभिभावक की वार्षिक आय रु0 350000.00 (तीन लाख पचास हजार) से अधिक न हो।
- राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का **शुल्क देय नहीं है।**

छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए अर्हता

- राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति हेतु चयनोपरान्त छात्र/छात्रा का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
- माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12 तक) छात्रवृत्ति अधिकतम् चार वर्षों के लिए देय। किसी भी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति देय नहीं है।
- छात्र/छात्रा ने कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 55% (आरक्षित वर्ग के लिए 50%) अंकों के साथ उत्तीर्ण कर उत्तराखण्ड राज्य में संचालित किसी राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में संस्थागत छात्र–छात्रा के रूप में कक्षा 9 में प्रवेश लिया हो।
- राजकोष से कोई अन्य छात्रवृत्ति न मिलती हो।
- छात्र/छात्रा का आचरण, अध्ययन, रुचि तथा प्रगति सन्तोषजनक हो।
- छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु कक्षा 9 एवं कक्षा 11 की परीक्षा उत्तीर्ण तथा बोर्ड (कक्षा 10) परीक्षा में न्यूनतम 60% (आरक्षित वर्ग के लिए 55%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- छात्रवृत्ति किसी भी कारण (यथा अनुत्तीर्ण होने, विद्यालय छोड़ देने, निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त न करने आदि) से एक बार बन्द होने की स्थिति में पुनः किसी भी दशा में जारी नहीं होगी।

डॉ0 शिवानन्द नौटियाल एवं राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) छात्रवृत्ति योजना
(Dr. Shivanand Nautiyal & State Merit (Sridev Suman) Scholarship Scheme)

संचालन –

- विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा।

कुल छात्रवृत्तियाँ–

- डॉ0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति – 100 छात्रवृत्तियाँ,

  (*गढ़वाल मंडल हेतु 50 एवं कुमांयू मंडल हेतु 50 छात्रवृत्तियाँ)।*

- राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) छात्रवृत्ति – 475 छात्रवृत्तियाँ (*प्रत्येक विकास खण्ड के लिए 5 छात्रवृत्तियाँ)।*

राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर डॉ0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति हेतु मंडलवार वरीयता सूची के आधार पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं का चयन करने के पश्चात राज्य योग्यता छात्रवृत्ति हेतु विकासखण्डवार वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड से 5–5 छात्र/छात्राओं का चयन।

किस स्तर तक – योजना के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को –

- कक्षा 9 से कक्षा 12 तक (छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर)।
- **छात्रवृत्ति की वर्तमान दर –**
  - ✓ डॉ0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति –रु0 1500.00 (एक हजार पाँच सौ रुपए) प्रतिमाह।
  - ✓ राज्य योग्यता छात्रवृत्ति – रु0 1000.00 (एक हजार रूपए) प्रतिमाह।
- छात्रवृत्ति का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खुले बैंक खाते में अंतरित की जाती है।

चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता –

- अभ्यर्थी राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) की कक्षा 8 में संस्थागत छात्र–छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो।
- अभ्यर्थी ने कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 50% (आरक्षित वर्ग के लिए 40%) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
- अभ्यर्थी के माता–पिता या अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है।

छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए अर्हता –

- माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12 तक) छात्रवृत्ति अधिकतम् चार वर्षों एवं प्रत्येक वर्ष 10 माह के लिए देय। किसी भी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति देय नहीं है।
- छात्र/छात्रा ने कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 50% (आरक्षित वर्ग के लिए 40%) अंकों के साथ उत्तीर्ण कर उत्तराखण्ड राज्य में संचालित किसी राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था (आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में संस्थागत छात्र–छात्रा के रूप में कक्षा 9 में प्रवेश लिया हो।
- राजकोष से कोई अन्य छात्रवृत्ति न मिलती हो।
- छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु कक्षा 9 एवं कक्षा 11 की परीक्षा में न्यूनतम 50% (आरक्षित वर्ग के लिए 40%) अंक तथा बोर्ड (कक्षा 10) परीक्षा में न्यूनतम 55% (आरक्षित वर्ग के लिए 45%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- छात्रवृत्ति किसी भी कारण (यथा अनुत्तीर्ण होने, विद्यालय छोड़ देने, निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त न करने आदि से)एक बार बन्द होने की स्थिति में पुनः किसी भी दशा में जारी नहीं होगी।
- क्या आप जानते हैं– **छात्रवृत्ति परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के उपरान्त भी कतिपय छात्र–छात्राएँ छात्रवृत्ति पाने से क्यों वंचित रह जाते हैं ?**

छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण न कर पाना। (सम्बन्धित छात्रवृत्ति की अर्हताएँ छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए अर्हता **शीर्षक में** उल्लिखित)

- ✓ राष्ट्रीय साधन सह योग्यता/डॉ.शिवानन्द नौटियाल एवं श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अन्य वित्त विहीन असहायता प्राप्त विद्यालय (PRIVATE) में प्रवेश लेना एवं अध्ययनरत रहना।
- ✓ निर्धारित समय पर विद्यालय स्तर से सत्यापन कार्य पूर्ण न होना।
- ✓ जिला स्तर से सत्यापन कार्य का अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण न होना।
- ✓ प्रधानाचार्यों का प्रक्रिया से अवगत न रहना।

छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ

आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त करें –

- ➢ विकासखण्ड के शिक्षा अधिकारी कार्यालय से।
- ➢ विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाइट **schooleducation.uk.gov.in, scert.uk.gov.in** से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

आवेदन पत्र कहाँ जमा करें –

- ➢ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित अंतिम तिथि तक सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में।

आवेदन/परीक्षा शुल्क –

- ➢ किसी भी प्रकार का आवेदन/परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

परीक्षा आयोजन तिथि –

- ➢ चयन परीक्षा एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड द्वारा माह दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह (रविवार) को।

परीक्षा केन्द्र –

- ➢ चयन परीक्षा हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में एक परीक्षा केन्द्र।

चयन परीक्षा प्रारूप –

- ➢ उपरोक्त तीनों छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा निम्न प्रश्न पत्रों पर आधारित होगी–

1. मानसिक योग्यता परीक्षण **(Mental Ability Test)** – शाब्दिक एवं अशाब्दिक तर्क शक्ति, संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित 100 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
2. शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण **(Scholastic Aptitude Test)** – इसके अंतर्गत **गणित** – 20 प्रश्न,

विज्ञान – 40 प्रश्न (भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान) तथा **सामाजिक विज्ञान** – 40 प्रश्न (भूगोल, राज0शास्त्र एवं इतिहास) विषयों पर आधारित कुल 100 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न।

- प्रश्नों का स्वरूप – बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक।
- प्रश्नपत्रों का स्तर – एन0एम0एस0एस0, डॉ0 एस0एन0एन0एस0एस0 एवं राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) परीक्षा के लिए कक्षा 07 एवं 08 की परीक्षा के समान।
- उत्तर पत्रक के रूप में ओ0एम0आर0 शीट का प्रयोग।

मानसिक एवं शैक्षिक योग्यता परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता सूची (Merit List) तैयार की जाती है। एन0एम0एम0एस0, डॉ0 एस0एन0एन0एस0एस0 एवं राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) परीक्षा में कुल मिलाकर 40% (आरक्षित वर्ग लिए 32%) अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- **राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) तथा डॉ0 शिवानन्द नौटियाल (Dr.SNNSS) एवं राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) छात्रवृत्ति योजना (SMSS {Sri Dev Suman}) परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप एक समान है।**
- **भरे हुए आवेदन पत्र SCERT उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में कदापि न भेजें। इन कार्यालयों में सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।**

उक्त छात्रवृत्तियों के सन्दर्भ में निम्न से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं –

- *विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से।*
- *जनपद में स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से।*
- *एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून से।*

दायित्व एवं अपेक्षाएँ :

मुख्य शिक्षा अधिकारी :

- *छात्रवृत्ति परीक्षाओं के प्रचार–प्रसार एवं सफल संचालन हेतु ख0शि0अ0 एवं प्रधानाचार्यों को निर्देशित करना। परीक्षा संबंधी समस्त तैयारियों की समय–समय पर समीक्षा करना व निधारित तिथि में परीक्षा सम्पन्न करवाना।*

- *जनपद स्तरीय बैठकों में प्रधानाचार्यों को इन परीक्षाओं के विषय में जागरूक करना, तथा नामांकन बढ़ाए जाने हेतु प्रयास करना।*

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/बेसिक) :

- *मुख्य शिक्षा अधिकारी के दिशा–निर्देशन में परीक्षा सम्बन्धी समस्त गतिविधियों का संचालन।*
- *जनपद स्तरीय बैठकों में प्रधानाचार्यों को इन परीक्षाओं के विषय में जागरूक करना तथा नामांकन बढ़ाए जाने हेतु प्रयास करना।*

प्राचार्य डायट :

- *छात्रवृत्ति से संबंधित प्रश्नपत्रों की तैयारी हेतु विद्यालयों को अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना।*

खण्ड शिक्षा अधिकारी :

- *आवेदन पत्रों का वितरण व समीक्षा। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चों का डाटाबेस/नामावली अनिवार्यतः **SCERT Uttarakhand** द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार करवाना।*

प्रधानाचार्य :

- *छात्रवृत्ति परीक्षाओं में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। छात्रवृत्ति परीक्षाओं के विषय में जानकारी व विभिन्न प्रश्नपत्रों की तैयारी हेतु विषयगत शिक्षकों के माध्यम से तैयारी करवाना। विद्यालय टाइम टेबल में एक वादन छात्रवृत्ति परीक्षा तैयारी हेतु संचालित करें जिसमें बच्चों को अभ्यासात्मक शिक्षण कराया जाए।*

एन.एम.एस.एस. छात्रवृत्ति परीक्षा में चयन के उपरान्त उत्तीर्ण परीक्षार्थी को अपना पंजीकरण नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर स्वयं विद्यालय की सहायता से करवाना अनिवार्य होगा। तदुपरान्त विद्यालय द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर प्रथम चरण का तथा जनपद द्वारा द्वितीय चरण का सत्यापन कार्य किया जाएगा।